राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की **229वीं** बैठक दिनांक **27.01.2016** को माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में मुख्यालय स्थित मण्डल कक्ष में सम्पन्न हुयी। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

1.	श्री अशोक जैन	अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल	अध्यक्ष
2.	श्री अशोक जैन	अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार	सदस्य
3.	श्री ओ॰पी॰ सैनी	आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल	सदस्य
4.	श्री शंकर लाल कुमावत	सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल	सदस्य-सचिव

श्री सिद्धार्थ महाजन, शासन सचिव, वित्त-प्रथम(व्यय) द्वारा अन्य कार्य में व्यस्त हाने के कारण एवं श्री प्रवीण जैन, मुख्य नगर नियोजक अवकाश पर होने के कारण मण्डल की बैठक में भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की गयी, जिसकी अनुमति प्रदान की गयी।

<u>बैठक में निम्न मण्डल अधिकारी भी उपस्थित रहे</u> :-

1.	श्री के॰सी॰ मीणा	मुख्य अभियन्ता-प्रथम
2.	श्री जी॰एस॰ बाघेला	मुख्य अभियन्ता-द्वितीय
3.	श्री नरेन्द्र धुन्ना	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी
4.	श्रीमती श्रुति भारद्वाज	मुख्य सम्पदा प्रबन्धक
5.	श्री अरूण चतुर्वेदी	अति.मुख्य नगर नियोजक
6.	श्री नत्थूराम	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम
7.	श्री के.के.माथुर	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय
8.	श्री वी.के.माथुर	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय
9.	श्री अनिल कुमार कौशिक	सम्पदा प्रबन्धक(भूमि)
10.	श्री वृन्दावन बिहारी माथुर	वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक
11.	श्री अरुण जोशी	उप निदेशक (जनसम्पर्क)
12.	श्री जे.पी.शर्मा	सहायक विधि परामर्शी

—:: कार्यवाही विवरण ::—

विचार बिन्दु संख्या	विचार बिन्दु	निर्णय	कार्यवाही द्वारा
229.1	वित्तीय वर्ष 2015—16 में Corpus Fund में 100.00 करोड रुपये के अतिरिक्त बजट प्रावधान बाबत्।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	FA
229.2	श्रीमती इन्द्र खण्डेलवाल पत्नी श्री श्याम खण्डेलवाल को भूखण्ड संख्या—79 कुन्हाडी की नियमानुसार शुल्क जमा नहीं करने के कारण निरस्त किया गया, को नियमन करने के संबंध में।	विस्तृत विचार—विमर्श पश्चात् निरस्त आवंटन का नियमन नहीं करने का निर्णय लिया गया।	FA
229.3	अखिल भारतीय श्री मीणा सामाजिक एवं शैक्षणिक समिति कोटा को सेक्टर—15 प्रताप नगर, जयपुर में आवंटित भूमि पर भवन निर्माण की समयावधि दिनांक 16.10.2016 तक बढाने के संबंध में।	प्रस्तावानुसार श्री मीणा समाज से नियमानुसार प्रशासनिक शुल्क वसूल करते हुये निर्माण की अवधि दिनांक 16.10.2016 तक बढाने की स्वीकृति इस शर्त पर प्रदत्त की गयी है कि निर्माण कार्य समयावधि में पूरा करना होगा अन्यथा आवंटन निरस्त माना जावेगा।	CEM
229.4	द्वारका पथ मानसरोवर, जयपुर में निर्माणाधीन मध्यम आय वर्ग—ब (एस+9) के 72 फ्लेट्स जोन—V के निर्माण कार्य की संचालक मण्डल से स्वीकृति की प्रत्याशा में जारी संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रुपये 1334.77 लाख की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध मे।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I
229.5	गत सरकार द्वारा अन्तिम छः माह में 5 प्रतिशत दर पर निजी संस्थाओं को भूमि आवंटन किये जाने के संबंध में।	राज्य सरकार द्वारा 5 प्रतिशत की रियायती दर पर किये गये भूमि आवंटनों की अन्तर राशि के पुनर्भरण एवं भविष्य में रियायती दर के स्थान पर आरक्षित दर पर ही भूमि आवंटन करने का अनुरोध राज्य सरकार से किया जाये, जिससे मण्डल को राजस्व की हानि ना हो।	CEM

229.6	बोर्ड के वित्तीय वर्ष 2014–15 के वार्षिक लेखे (अंतिम लेखे) निदेशक मण्डल से अनुमोदन के संबंध में।	विस्तृत विचार–विमर्श पश्चात् निर्देश प्रदान किये गये कि :– 1. आय कर एवं सर्विस टैक्स के संबंध में स्पष्ट स्थिति आवासन आयुक्त को अवगत कराई जावे। 2. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा की गई कार्यवाही के अनुसार राजस्थान आवासन मण्डल को भी आयकर के संबंध में लाभ प्राप्त करने हेतु प्रयास करने चाहिये।	FA
229.7	मण्डल कार्मिकों को वित्तीय वर्ष– 2014–15 का बोनस/अनुग्रह राशि तथा उपहार राशि के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	FA
229.8	इन्दिरा गांधी नगर विस्तार योजना हेतु ग्राम रोपाडा व दांतली, तहसील सांगानेर एवं ग्राम बूडथल एवं भटेसरी, तहसील बस्सी की भूमि अवाप्ति के एवज में खातेदारों को बडे ब्लॉकस के लॉटरी के माध्यम से आवंटन के स्थान पर निर्धारित क्षेत्रफल के आवासीय/ व्यावसायिक विकसित भूखण्डों के खातेदारो से प्राप्त सहमति अनुसार आवंटन किये जाने के संबध में।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE-I
229.9	परियोजना समिति की बैठक आयोजित किये जाने के लिए अधिकृत सदस्य– सचिव, वरिष्ठ नगर नियोजक के स्थान पर अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक को परियोजना समिति की बैठक आयोजित किये जाने के लिये सदस्य–सचिव बनाये जाने के संबंध में।	प्रस्तावानुसार वरिष्ठ नगर नियोजक के स्थान पर अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक को परियोजना समिति की बैठक आयोजित किये जाने के लिये सदस्य–सचिव बनाये जाने का निर्णय लिया गया।	ACTP
229.10	राजस्थान पत्रिका प्राईवेट लिमिटेड, जोधपुर को आवंटित भूमि पर निर्माण कार्य की समयावधि बढाने के संबंध में।	प्रस्तावानुसार राजस्थान पत्रिका प्राईवेट लिमिटेड से नियमानुसार प्रशासनिक शुल्क वसूलते हुये निर्माण की अवधि सितम्बर–2016 तक बढाने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया है कि निर्माण कार्य समयावधि में पूरा करना होगा।	CEM

229.11	नीलामी में आवंटित आवास संख्या 03–ध–13, विज्ञान नगर, कोटा का नियमन किये जाने के संबंध में।	प्रस्तावानुसार नीलामी को नियमित किये जाने का निर्णय लिया गया।	FA
229.12	राज्य सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार राजस्थान आवासन मण्डल में लेखा एवं प्रशासनिक संवर्ग के वर्तमान पदनाम को नवपदनाम में परिवर्तन करने के संबंध में।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल में लेखा एवं प्रशासनिक संवर्ग के वर्तमान पदनाम को नवपदनाम में परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया।	Secretary
229.13	मण्डल सेवा के वरिष्ठ लेखाधिकारी के एक पद को उप वित्तीय सलाहकार (पे बैण्ड 15600–39100 ग्रेड पे 7600) में क्रमोन्नत पश्चात राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी (भर्ती एवं पदोन्नति) विनियम– 2010 के सेक्शन–''सी'' लेखा संवर्ग के नियमों में जोड़ने के संबंध में।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी (भर्ती एवं पदोन्नति) विनियम–2010 के सेक्शन–''सी'' लेखा संवर्ग के नियमों में जोडने का निर्णय लिया गया।	Secretary
229.14	ग्राम सूंथला, चौपासनी योजना, जोधपुर में लगभग 150 बीघा 10 बिस्वा एवं 50 बीघा 12 बिस्वा भूमि के मुआवजा स्वरूप 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड आपसी समझौते के आधार पर दिये जाने के संबंध में मण्डल की 218.96 एवं 218.97वीं बोर्ड बैठक दिनांक 24.04.13 में लिये गये निर्णय को अपास्त करने के संबंध में।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया। बोर्ड बैठक दिनांक 24.04.13 में लिये गये निर्णय संख्या 218.96 एवं 218.97 को अपास्त कर राज्य सरकार को सूचित करने का निर्णय लिया गया साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि रेवन्यू कोर्ट के आदेश पर स्थगन प्राप्त करने की कार्यवाही की जावे तथा प्रकरण में प्रभावी पैरवी की जावे।	EM (Land)
229.15	आयकर विभाग व यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया को मानसरोवर योजना में फ्लेट आवंटन करने के संबंध में।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CEM
229.16	राजस्थान आवासन मण्डल की मल्हारगंज चौमहला के 211 आवासों एवं अकलेरा आवासीय योजना के 301 आवासों की वर्ष 2014–15 की निर्धारित लागत स्थिर कर 20 प्रतिशत छूट प्रदान करने के साथ खुली बिक्री योजना द्वारा निस्तारण करने की स्वीकृति बाबत।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि यह लागत दिनांक 30.6.2016 तक फ्रीज रहेगी।	CE-I

229.17	राजस्थान आवासन मण्डल की छबड़ा आवासीय योजना के 322 आवासों की वर्ष 2014–15 में निर्धारित लागत को दिनांक 30.6.2016 तक फ्रीज कर 10 प्रतिशत छूट तथा छीपा बडौद आवासीय योजना के 186 आवासों की वर्ष 2014–15 में निर्धारित लागत को दिनांक 30.6.2016 तक फ्रीज कर 20 प्रतिशत छूट प्रदान करने के साथ खुली बिक्री योजना द्वारा निस्तारण करने की स्वीकृति बाबत।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I
229.18	राजस्थान आवासन मण्डल की अरावली विहार आवासीय योजना भिवाड़ी के मध्यम आय वर्ग 'ब'(एस+3) के 25 फ्लैट्स की दिनांक 30.1.2014 को निर्धारित लागत दिनांक 30.6.16 तक फ्रीज कर 10 प्रतिशत छूट प्रदान करने के साथ खुली बिक्री योजना द्वारा निस्तारण करने की स्वीकृति बाबत।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I
229.19	सेक्टर 26 प्रताप नगर योजना, जयपुर में मैसर्स पोदार एडवाईजरी एण्ड कन्सल्टिंग एन्टरप्राईज प्रा. लि. द्वारा प्री–फेब तकनीकी से मण्डल में प्रदर्शन हेतु स्वयं की लागत पर अल्प आय वर्ग (जी+3) के 16 फ्लैट्स के एक ब्लॉक के ढॉचा निर्माण, सामने के 8 फ्लेट्स का सम्पूर्ण निर्माण एवं संपादित किये जाने वाले एम.ओ.यू. की स्वीकृति के अनुमोदन बाबत।	विस्तृत विचार–विमर्श पश्चात् निर्माण किये जाने वाले फ्लेट्स की डिजाईन, प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री एवं तकनीकी परीक्षण हेतु एक समिति का गठन कर कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त की जावे एवं तदनुसार प्रकरण बोर्ड के समक्ष रखा जाने का निर्णय लिया गया।	CE-I
229.20	मुख्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार मुक्ता प्रसाद नगर, आवासीय योजना, बीकानेर में विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन वादों एवं अतिक्रमित भूमि में निहित भूमि में से 40 प्रतिशत भूमि को विक्रय योग्य भूमि मानते हुये वर्ष 2013–14 की भूमि एवं विकास दर में विक्रय दर में विक्रय योग्य भूमि में समाहित करते हुये स्ववित्त पोषित योजना–2012 के उच्च आय वर्ग के 34 एवं मध्यम आय वर्ग–ब के 40 आवासों की लागत का पुनः निर्धारण किये जाने हेतु।	विस्तृत विचार'–विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि मुक्ता प्रसाद नगर आवासीय योजना बीकानेर के प्रकरण में आवासों की लागत पुनर्निर्धारित करने की बजाय एस.एफ.एस. योजना के सरप्लस आवासों की निर्धारित लागत स्थिर रखते हुए ऐसे आवासों का नीलामी के माध्यम से निस्तारण किया जावे।	CE-II

229.21	विशेष आवास आवंटन योजना 2016 के अन्तर्गत अवशिष्ठ अनावंटित आवासों का खुली बिक्री योजना से निस्तारण बाबत।	विस्तृत विचार–विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि :– 1.जयपुर शहर में अनावंटित अधिशेष आवासों का निस्तारण नीलामी के माध्यम से किया जावे। 2. जयपुर शहर से बाहर अनावंटित अधिशेष स्वतंत्र आवासों का निस्तारण नीलामी के माध्यम से किया जावे। 3. जयपुर शहर से बाहर अनावंटित अधिशेष बहुमंजिले आवासों का निस्तारण खुली बिक्री योजना के माध्यम से किया जावे।	CE-I
229.22	राजस्थान आवासन मण्डल में स्ववित्त पोषित योजनाओं में आरक्षण पत्र जारी होने के पश्चात आवास आवंटन की पद्धति के संबंध में।	विस्तृत विचार–विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि दिनांक 01.04.2014 के पश्चात की एसएफएस योजनाओं के जिन आवेदकों द्वारा एस.एफ.एस. के अंतर्गत नियमानुसार प्रथम किश्त जमा करा दी है उनका नाम लॉटरी में सम्मिलित करते हुये आवास/ फ्लैट का आवंटन कर दिया जावे एवं शेष किस्तों की राशि समय पर जमा नही कराने पर नियमानुसार ब्याज वसूल किया जावे।	CE-I
229.23	ए.एस.जी. हॉस्पीटल लिमिटेड को आवंटित भूमि पर निर्माण कार्य की समयावधि बढाने के संबंध में।	प्रस्तावानुसार ए.एस.जी. हॉस्पिटल लि. जोधपुर को आवंटित भूमि पर निर्माण कार्य की समयावधि 31.03.2016 तक बढाने के निर्णय की पुष्टि की गई।	CEM
229.24	जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को मानसरोवर योजना मे भृगु अपार्टमेन्ट में 30 फ्लेट आवंटन बाबत।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	CEM

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(शंकर लाल कुमावत)
सचिव